दुष्कर्म के दोषियों को दस दस वर्ष सश्रम कारावास

अदालत से

जासं, श्रावस्ती : मल्हीपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को भगाने व दुष्कर्म करने के दो दोषियों को अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) अजय कुमार सिंह ने दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर दोषियों को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि 14 मार्च 2011 को मल्हीपुर क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी को जबरदस्ती गांव के ही लल्लू वर्मा अपने साथियों के साथ भगा ले गए थे। इसमें नान्हू वर्मा का भी हाथ था। घटना के तीन माह बाद जब पीड़िता बरामद हुई तो उसने बताया कि उसको जबरदस्ती नान्हू व लल्लू पंजाब लेकर गए थे। लगभग तीन माह वहां रुकने के बाद उसे वापस लेकर आ रहे थे। कानीबोझी के पास पुलिस को देखकर आरोपित फरार हो गए थे। किशोरी को पुलिस ने पकड़ लिया था। पीड़िता ने न्यायालय पर दिए बयान में बताया कि तीन माह पंजाब में रहने के दौरान उसके साथ दोनों लोग बारी-बारी से दुष्कर्म करते थे। मामले की विवेचना हुई। विचारण अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) अजय कुमार सिंह के न्यायालय पर हुई। दोनों आरोपितों को दोषसिद्ध ठहराते हुए दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज देव गुप्त ने किया।